राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

क्रमांक : लेखा एवं वित I/अनाज अग्रिम 2023/2355 दिनांक : 13/04/2023

कार्यालय आदेश

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 12/04/2023 के अनुसार विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों को अनाज खरीदने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में अग्रिम धन राशि प्राप्त करने के इच्छुक हो अपने आवेदन–पत्र दिनांक 24.04.23 तक अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम धन राशि स्वीकृत की जा सकें। उक्त तिथि के पश्चात् आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

अग्रिम प्राप्ति पात्रता नियमः–

(अ) अनाज अग्रिम विश्वविद्यालय के स्थाई अशैक्षणिक कर्मचारियों को देय होगा जिनकी ग्रेड–पे 4800/– अथवा सातवे वेतन आयोग में L–12 तक हैं।

(ब) ऐसे अस्थाई कर्मचारी जो स्थायी पद पर विश्वविद्यालय की सेवा में है उन्हें भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा किन्तु उन्हें विश्वविद्यालय के दो स्थाई कर्मचारियों की जमानत देना अनिवार्य होगी। यदि वह कर्मचारी राशि चुकाने में असमर्थ होगा तो जमानत देने वाले के वेतन में से राशि वसूल की जायेगी तथा इस विषय में कोई पत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(स) विश्वविद्यालय सेवा में यदि पति व पत्नि दोनों ही सेवारत हो तो उनमें से केवल एक ही को जो वरिष्ठ होगा, अग्रिम धन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

नोट :–

(क) जिन कर्मचारियों के प्रति गत वर्षो का अनाज ऋण राशि बकाया है, उनको इस बार अग्रिम राशि नहीं दी जा सकेगी।

(ख) जो कर्मचारी निश्चित अवधि के लिए निश्चित कार्य के लिए विश्वविद्यालय में सेवारत है वे अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष अथवा कम का समय शेष है वे इस अग्रिम राशि हेतु पात्र नहीं होंगे।

2. अग्रिम राशि :–

अनाज के लिए राशि रूपये 25000/– उन्हीं अशैक्षणिक कर्मचारियों को देय होगी जिनकी ग्रेड–पे 4800/– अथवा सातवे वेतन आयोग में L–12 तक प्रति माह है।

3. (अ) ब्याज की वसूली 10.50 प्रतिशत की दर से निम्नानुसार बिलों से की जायेगी।

(ब) अग्रिम धनराशि	**समान किश्तों की राशि**
रू. 25000/–	2621/– रू. की 10 समान किश्तों की (मय ब्याज)

4. अनाज की अग्रिम राशि की वसूली माह मई, 2023 के वेतन बिलों से प्रारम्भ की जायेगी।

5. प्रत्येक कर्मचारी को जो अग्रिम राशि प्राप्त करता है, एक प्रमाण–पत्र निम्न प्रकार प्रारूप में देना होगा :–

प्रमाण–पत्र

मैं .... घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पूर्ण अग्रिम धन राशि रू. .... का अनाज खरीद लिया है।

हस्ताक्षर कर्मचारी ....

पद एवं कार्यालय ....

कर्मचारी कोड़ सं. ....

6. अनाज अग्रिम की अधिकतम राशि रू. 25000/– निर्धारित की है। कोई कर्मचारी उसकी आवश्यकता अनुसार अग्रिम राशि कम भी ले सकता है।
7. वेतन बिल में कटौती अग्रिम राशि मय ब्याज की वसूली दर्शाई जायेगी।
8. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाधिकारी उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को जिन्होंने अनाज अग्रिम राशि हेतु संलग्न प्रारूप–पत्र के आवेदन किया है, उनकी सूची (तीन प्रतियों में) निम्न प्रारूप में भिजवायें।

क्र. सं.	**कर्मचारी कोड सं.**	**कर्मचारी का नाम**	**पद**	**राशि**

उप कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)

क्रमांक : लेखा एवं वित I/अनाज अग्रिम 2023/2345-2454 दिनांक : 13/04/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्राचार्य, महाराजा/महारानी/राजस्थान/वाणिज्य महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक केन्द्रीय पुस्तकालय/गाँधी अध्ययन/शारीरिक शिक्षा अध्ययन/दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. मुख्य आवासाधिकारी, विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित छात्रावास।
6. समस्त छात्रावास अधिकारी, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय छात्रावास।
7. समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, निजी सचिव/सचिव, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

सहायक कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)

कर्मचारी कोड संख्या ....

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

आवेदक का नाम	:	....
पिता / पति का नाम	:	....
पद	:	....
स्थायी / अस्थायी / परीविक्षाकाल	:	....
कार्यालय जहां कार्यरत है	:	....
बैंक का नाम	:	....
बैंक खाता संख्या	:	....
आई.एफ.एस. कोड	:	....

घोषणा–पत्र

(अ) मेरे द्वारा पूर्व में ली गई अनाज अग्रिम धनराशि की कोई राशि बकाया नहीं है।

(ब) स्वीकृत अग्रिम धनराशि का उपयोग पूर्ण रूपेण अनाज खरीदने के लिए ही किया जायेगा।

अस्थाई कर्मचारी के लिए :–

क्र.सं.	जमानती का नाम	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
1.				
2.				

हस्ताक्षर एवं पद

क्रमांक : दिनांक :

कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आवेदनकर्ता विश्वविद्यालय की स्थायी / अस्थायी सेवा में है तथा उपरोक्त सक्षियों के हस्ताक्षर प्रमाणित है।

विभागाध्यक्ष / अनुभागाधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मोहर